

कार्यालय नगर पालिका परिषद शुजालपुर जिला शाजपुर (म0प्र0)

cmo.shujalpur.mpurban@gmail.com

क्र./स्था./2024/3857

शुजालपुर दिनांक 7-8-2024



विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित वर्गों की पूर्ति के लिये पात्र अभ्यर्थियों से संलग्न प्रारूप पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन दिनांक 27-8-24 को सायं 5:00 बजे तक डाक से अथवा व्यक्तिशः नगर पालिका परिषद शुजालपुर के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

क्र.	पद/संवर्ग का नाम (नियमित/संविदा)	पद की श्रेणी	वेतनमान	आरक्षित वर्गवार रिक्तियां				निर्धारित योग्यता
				दृष्टिबाधित और कम दृष्टिबाधित	बहरे और कम सुनने वाले	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग युक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सफाई संरक्षक (नियमित)	चतुर्थ	4440-7440 Level 1	0	1	1	0	5 वी उत्तीर्ण
2	सफाई संरक्षक (संविदा)	चतुर्थ	8000 प्रति माह	1	1	1	1	5 वी उत्तीर्ण
3	भूतल (संविदा)	चतुर्थ	8000 प्रति माह	0	0	0	1	10 वी उत्तीर्ण
कुल योग:-				1	2	2	2	

मुख्य शर्त:-

- आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- इस विज्ञापन के जारी होने दिनांक को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिये।
- आवेदक का म.प्र. राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
- आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरुष के लिये 21 वर्ष, महिला के लिये 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो तो उक्त पद के लिये उसे अयोग्य माना जावेगा।
- प्राप्त आवेदनों की जाँच के बाद मेरिट के आधार पर चुनिंदा अभ्यर्थियों को वॉक-इन-इंटरव्यू/साक्षरता के लिये आमंत्रित किया जावेगा। उक्त की सूचना आवेदक की मेल आईडी पर दी जावेगी।
- वॉक-इन-इंटरव्यू/साक्षरता के लिये आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा अथवा अन्य भत्ता देय नहीं होगा।
- आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख स्वयं अथवा राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित होने चाहिये।
- भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी निकाय की (<https://nagarpalikashujalpur.co.in>) कलेक्टर कार्यालय/जिला पंचायत कार्यालय/निकाय के सूचना पटल पर देखी जा सकती है।
- नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होंगे।
- आवेदन भेजने का पता- नगर पालिका परिषद शुजालपुर जिला शाजपुर मध्यप्रदेश पिन- 465333।

Chief Municipal Officer
Municipal Council Shujalpur
नगर पालिका परिषद शुजालपुर



प्रति,

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद शुजालपुर
जिला शाजापुर मध्यप्रदेश

स्व- प्रमाणित
पासपोर्ट साईज
का फोटो चस्पा
करें

विषय:- पद वर्ग के लिये आवेदन।

संदर्भ:- आपका विज्ञापन क्रमांक..... दिनांक

1. आवेदक/आवेदिका का पूरा नाम -
2. आवेदक/आवेदिका की माता का नाम-
3. आवेदक/आवेदिका के पिता/पति का नाम-
4. आवेदक/आवेदिका की जन्म तिथि (जन्म प्रमाण पत्र/हाई स्कूल की अंकसूची अनुसार) वर्षमाह.....दिन.....
5. विज्ञापन प्रसारण के दिनांक को आयु वर्ष माह दिन
6. आवेदक/आवेदिका का लिंग (पुरुष/महिला/अन्य) -
7. आवेदक/आवेदिका की जाति-
8. दिव्यांगता की श्रेणी एवं दिव्यांगता का प्रतिशत -
9. आवेदक/आवेदिका यदि विवाहित हो तो विवाह के प्रमाण-पत्र अनुसार विवाह की दिनांक-
10. जीवित संतानों का विवरण-
11. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं रोजगार कार्यालय का नाम -
12. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताएं

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	विषय	कुल अंक	प्राप्त अंक	प्रतिशत	श्रेणी

13. पद हेतु अनुभव का विवरण -
14. अतिरिक्त विशेष योग्यता यदि हो तो उसका विवरण -
15. वर्तमान पता (पिन कोड सहित) -
16. स्थाई पता (पिन कोड सहित) -
17. पत्राचार का पता (पिन कोड सहित) -
18. ईमेल आई.डी (आवश्यक) -
19. मोबाईल नम्बर (आवश्यक) 1..... 2.....

आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम

घोषणा पत्र

“मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी जो मेरे द्वारा दी गई है यह मेरे विवेक एवं ज्ञान से पूर्णतः सत्य है। कोई भी जानकारी असत्य पाई जाने पर मेरा आवेदन निरस्त किया जावे।”

आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्नक:-

1. म.प्र. के मूल निवासी का प्रमाण पत्र।
2. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन।
3. दिव्यांगता प्रमाण पत्र (न्यूनतम 40 प्रतिशत)
4. जाति प्रमाण पत्र।
5. जन्म तिथि का प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र/ हाई स्कूल की अंकसूची)

कार्यालय नगर पालिका परिषद शुजबलपुर जिला शाजापुर (म0प्र0)

दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विस्तृत जानकारी

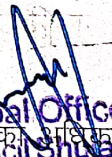
माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा रिट याचिका क्रमांक 7275/2019 में दिनांक 30.01.2024 को पारित आदेश के अनुक्रम में विशेष भर्ती अभियान के तहत दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित निम्न पदों की पूर्ति के लिये विज्ञापन क्रमांक 3857 दिनांक 1-8-24 प्रसारित किया गया है।

स. क्र.	पद का नाम	पद की श्रेणी	वेतनमान	दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित वर्गवार रिक्तियाँ				निर्धारित योग्यता
				दृष्टिबाधित और कमदृष्टि	बहरे और कम सुनने वाले	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग युक्त, बौनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सफाई संरक्षक (नियमित)	चतुर्थ	4440-7440	0	1	1	0	5 वीं उत्तीर्ण
2	सफाई संरक्षक (संविदा)		वेतन कलेक्टर दर अनुसार	1	1	1	1	5 वीं उत्तीर्ण
3	भृत्य (नियमित)	चतुर्थ	निरंक	0	0	0	0	0
4	भृत्य (संविदा)		वेतन कलेक्टर दर अनुसार	0	0	0	1	10 वीं उत्तीर्ण

उपरोक्त पदों की पूर्ति के लिये विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है:-

- आवेदक को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- समस्त प्रमाण-पत्रों को सक्षम अधिकारी अथवा स्वयं सत्यापित करने के उपरान्त प्रमाण पत्रों की प्रति सलग्न प्रेषित की जावें।
- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्रमांक सी 3-38/16/1/3 भोपाल दिनांक 04 जुलाई 2019 अनुसार विज्ञापन प्रसारण दिनांक को निःशक्त अभ्यार्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिये।
- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी 3-38/16/1/3- एक भोपाल दिनांक 12 मई 2017 एवं परिपत्र क्रमांक सी 3-38/16/1/3 भोपाल दिनांक 04 जुलाई 2019 के अनुसार आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।
- आवेदक को वॉक-इन-इंटरव्यू/साक्षात्कार के समय सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति साथ लाना अनिवार्य है।
- दिव्यांगता के डिजिटल प्रमाण पत्र की अनिवार्यता दिनांक 01.06.2021 से लागू की गई है। अतः उक्त तिथि के पूर्व जारी मैनुअल दिव्यांगता प्रमाण पत्र भी मान्य होगा।
- सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी डिजिटल जाति प्रमाण-पत्र/जाति प्रमाण-पत्र/मूल निवासी प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
- वॉक-इन-इंटरव्यू के लिए आने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- अधूरे, अस्पष्ट एवं अपठनीय आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- भर्ती से संबंधित अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में निकाय के कार्यालय से ज्ञात की जा सकती है।
- यह कि जिस आवेदक का विवाह निर्धारित न्यूनतम आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) के पूर्व हो गया हो उसे उक्त पदों के लिए अयोग्य माना जायेगा।

12. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि को पूर्ण करता है।
13. आवेदन-पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण, असत्य या त्रुटिपूर्ण पायी जाती है अथवा वांछित प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया जाता है, तो उसके आधार पर आवेदक को पूर्व सूचना दिये बिना उसका आवेदन पत्र किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है।
14. उल्लेखित पदों पर आवेदक राष्ट्रीय पेंशन योजना, 2005 अंतर्गत नियुक्त किये जायेंगे।
15. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2014 के अनुसार वर्गवार आरक्षण न करते हुए दिव्यांगजनों की श्रेणी के आधार पर आरक्षण किये जाने से विशेष पिछड़ी जनजातियों (सहारिया, भारिया एवं बैगा) महिलाओं एवं भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के आवेदकों को पृथक से आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।
16. ऐसे समस्त आवेदन पत्र जो अपूर्ण हैं एवं विहित प्रारूप में नहीं हैं वे निरस्त कर दिये जायेंगे। अभिलेखों को कूटचिह्नित किया हो या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये गये हों जो रूपान्तरित किये गये हों वे भी निरस्त कर दिए जाएंगे। साथ ही ऐसे विवरण दिये गए हों, जिसमें ऐसी तात्त्विक जानकारी छिपाई गई हो, जो चयन के लिए आवश्यक हों, तो ऐसे आवेदन पत्र भी निरस्त कर दिए जाएंगे।
17. दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों का उनके लिये जिला स्तर पर गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल परीक्षण कराकर यह सुनिश्चित होने के पश्चात ही कि वे वास्तव में विकलांग हैं यह जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरान्त ही नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे।
18. यह कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध चयनित होने वाले अभ्यर्थियों के निःशक्तता का प्रतिशत 40 प्रतिशत या अधिक पाए जाने पर ही चयन/कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा।
19. शासन के आदेश के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिसके 02 से अधिक जीवित सन्तानें हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है तो ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा, लेकिन यदि एक बच्चा जीवित है और बाद के प्रसव में दो या अधिक सन्तानें जन्म लेती है तो उसे अयोग्य नहीं माना जावेगा।
20. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी, 3-13/2019/3/एक भोपाल, दिनांक 12 दिसंबर 2019 के अनुसार सीधी भर्ती के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन होने पर अभ्यर्थी 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्ति होगा। परिवीक्षा अवधि में अभ्यर्थी को प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में दी जायेगी।
21. दिव्यांगजनों हेतु चिन्हांकित संविदा के पदों पर भर्ती संबंधी कार्यवाही मध्यप्रदेश नगरपालिका संविदा (अनुबंध तथा सेवा की शर्त) सेवा नियम 2021 में विहित प्रावधानानुसार की जायेगी।
22. प्राप्त आवेदनों की जाँच बाद मेरिट के आधार पर वॉक-इन-इंटरव्यू/साक्षात्कार के लिये आमंत्रित किया जायेगा। उक्त की सूचना आवेदक द्वारा दी गयी ई-मेल आईडी पर प्रेषित की जायेगी।
23. नियुक्ति से संबंधित सभी अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी के पास सुरक्षित होंगे।


Chief Municipal Officer
 मुख्य नगर पालिका अधिकारी
Municipal Council Shujapur
 नगर पालिका परिषद, शुजालपुर

कार्यालय नगर पालिका परिषद शुजालपुर जिला शाजापुर (म0प्र0)

पावती

विशेष भर्ती अभियान 2024 के तहत दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पदों के संबंध में निम्नानुसार आवेदन प्राप्त हुआ :-

1. आवेदक/आवेदिका का नाम -
2. पिता/पति का नाम -
3. पद एवं श्रेणी जिसके लिए आवेदन प्राप्त हुआ -
4. संलग्नक (/X का निशान लगावें) -

(अ) मध्यप्रदेश के मूल निवासी का प्रमाण पत्र -

(ब) रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन -

(स) दिव्यांगता का प्रमाण पत्र -

(द) जाति प्रमाण पत्र -

(इ) जन्म प्रमाण पत्र -

5. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक एवं समय -

दिनांक

निकाय की सील

प्राप्तकर्ता का नाम/पद/हस्ताक्षर